जिसमें मंदिर के मुख्य मार्ग पर वाहन खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक स्थानीय युवक द्वारा हंगामा किए जाने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा, एक अन्य गंभीर मामले में रात के अंधेरे में एक बस को प्रतिबंधित मंदिर मार्ग पर प्रवेश करते हुए देखा गया है। संवेदनशील धार्मिक क्षेत्र होने के बावजूद बड़े वाहनों और बसों के प्रवेश ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

इस मामले में मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल ने बताया कि यह मामला उनके ध्यानार्थ आया है और यह देर रात हुआ है। इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।

सोमवार को दोपहर बाद मां काली की भव्य शोभायात्रा निकाली और बनेर खड्ड स्थित कांगड़ा बाईपास पर विर्सजन किया। शोभायात्रा में सैंकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। समारोह के दौरान माता की भव्य चौकी का आयोजन किया, जिसमें भजन-कीर्तन और आकर्षक धार्मिक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इसकी खास बात यह है कि कोलकाता स्वर्णकार कारीगर पिछले करीब 26 वर्षों से कांगड़ा के सराफा बाजार में मां काली पूजा की परंपरा को निभा रहे हैं। इस दौरान भक्तों को हलवा, चने, फल और मिठाई का प्रसाद वितरित किया गया।

स्थित वेदव्यास परिसर में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आगाज हुआ। इसका शुभारंभ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति ने किया। पहले दिन दोपहर 3:00 बजे परिसर पुस्तकालय में पुस्तक खोज प्रतियोगिता करवाई। प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक प्रतिभागी को पांच पुस्तकों के शीर्षक दिए व उन्हें निर्धारित तीन मिनट के भीतर पुस्तकालय की अलमारियों से संबंधित पुस्तकों को खोजकर निकालना था। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

पुरस्कार मिलेंगे। समापन समारोह में विधायक आशीष बुटेल पुरस्कार देंगे और विद्यार्थियों के माडलों की प्रदर्शनी देखेंगे। कार्यक्रम में संगीत व नृत्य प्रस्तुतियां भी होंगी।

सूचना

मैं, सुरजीत सिंह पुत्र भगत राम निवासी गांव दियाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा शिवनम गुलेरिया व पुत्रवधू आशा कुमारी (दीक्षा) दोनों मेरे कहने व सुनने से बाहर हैं। अतः मैं उन दोनों को अपनी सारी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ। भविष्य में उनसे लेनदेन करने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। सभी नोट करें।

द कांगड़ा सेंट्रल को-ऑप बैंक लिमिटेड

शाखा कार्यालय: योल कैंप जिला कांगड़ा (हि.प्र.) फोन नं. 01892-235848

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक ई-नीलामी सूचना

धरोहर राशि और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और ऑनलाइन/एनईएफटी/आरटीजीएस जमा करने की अंतिम तिथि और समयः 07.12.2026, 04:00 अपराह्न

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के नियम 6(2) और 8(6) के साथ पठित तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 और 9 के साथ पठित।

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा द कांगड़ा सेंट्रल को-ऑप बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित तिथियों पर द कांगड़ा सेंट्रल को-ऑप बैंक लिमिटेड को देय बकाया (नीचे उल्लिखित) की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि संपत्ति के सामने उल्लिखित हैं। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया (https://www.bankeauctions.com) में दिए गए लिंक को देखें।

खाते का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जे का प्रकार	बकाया राशि और कब्जे की सूचना तिथि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि/समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय
श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री सत्यपाल भाटिया निवासी टीका बानी, डाकघर योल कैंप, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) जमानतदारः 1. श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री सत्यपाल भाटिया निवासी टीका बानी, डाकघर योल कैंप, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), 2. श्री सुभाष चंद कपूर पुत्र श्री धनी राम, गांव कसबा नरवाना, डाकघर योल कैंट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।	खसरा संख्या 22, खतौनी संख्या 24, खसरा 152, 153, 158, 159, 163, किता-5 में कुल रकबा 00-57-15 हैक्टेयर, जो उपमोहयाल योल खास, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) में स्थित है और श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री सत्यपाल भाटिया के स्वामित्व और कब्जे में है।	भौतिक कब्जा	रु. 13,90,130/- और 15.12.2023 से आगे सहमत दर पर ब्याज और अन्य लागू खर्च। कब्जे की तिथिः 10.09.2024	03.12.2026, 11:00 बजे से 16:00 बजे तक	रु. 44,22,630/- / रु. 4,42,263/- / रु. 25,000/-	08.12.2026, प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक

नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" के आधार पर आयोजित की जा रही है। 1. प्राधिकृत अधिकारी को जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के भार, स्वामित्व और दावों/अधिकारों/बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं बनाता है और न ही माना जाएगा। संपत्ति को बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 2. बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति का निरीक्षण करें और उसकी विशिष्टताओं से संतुष्ट हों। 3. इच्छुक बोलीदाता अपनी धरोहर राशि वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com के माध्यम से जमा करेंगे (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com पर नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। धरोहर राशि निम्नलिखित खाता संख्या में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी: **खाता संख्याः 50056152990, खाते का नामः एन/सीः एनईएफटी/आरटीजीएस ए/सी बीओ योल, आईएफएससी कोडः KACE0000121**, कृपया ध्यान दें कि बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट 07/12/2026 को 04:00 अपराह्न से पहले योल कैंप शाखा में हार्ड कॉपी/ऑनलाइन जमा किया जाएगा। 4. वेब/पोर्टल में बोलीदाता द्वारा पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीददार को बोली (बोलियों) जमा करने की अंतिम तिथि से पहले वेब पोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, अर्थात्: अनुबंध-II और III (निविदा सूचना में-उल्लिखित) की स्कैन की गई प्रति को विधिवत भरकर और हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा। i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान की प्रति; ii) पैन कार्ड की प्रति; iii) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्व-सत्यापित प्रति; iv) पते के प्रमाण की प्रति; **जिसके बिना बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।** 5. लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता वाले इच्छुक बोलीदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डिंग नंबर 301, पहली मंजिल, उद्योग विहार फेज-2, गुरुग्राम (हरियाणा)-122015, फोन नंबरः 0124-4302000/2021/2022/2023/2024, वेबः www.c1india.com, **और श्री मिथलेश कुमार, मोबाइल नंबरः +91-7080804466, हेल्प लाइन ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com और delhi@c1india.com** से संपर्क कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति संबंधी प्रश्न के लिए श्री मनोज कुमार गुप्ता, (प्राधिकृत अधिकारी) मोबाइल नंबरः 9418924269, ई-मेल आईडीः zonagrotabagwan@kccbhp.bank.in से कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। 6. केवल वैध उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड और धरोहर राशि के पुष्टिकृत भुगतान वाले खरीदार ही ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। 7. जिन इच्छुक बोलीदाताओं ने 07/12/2026 को 04:00 अपराह्न से पहले **ऑनलाइन मोड** के माध्यम से ऊपर उल्लिखित धरोहर राशि से कम नहीं अपनी धरोहर राशि जमा की है, वे ई-बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। उपरोक्त संपत्ति की ई-नीलामी बोलीदाताओं के बीच अंतर-से बोली के माध्यम से निर्धारित तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। बोलीदाता उपरोक्त संपत्ति के सामने "बोली वृद्धि राशि" कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में अपनी पेशकश में सुधार करेगा। यदि ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा (प्रत्येक बार 5 मिनट के असीमित विस्तार के अधीन)। ई-नीलामी प्रक्रिया के समापन पर उच्चतम बोली राशि जमा करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और इस आशय का संचार इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जारी किया जाएगा, जो प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार के अनुमोदन के अधीन होगा। 8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को स्वीकार्य बोली मूल्य के बाद (24 घंटे के भीतर) प्राधिकृत अधिकारी को बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और शेष 75% बिक्री मूल्य 15वें दिन या ऐसे विस्तारित अवधि के भीतर, जैसा कि प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार (बैंक) द्वारा लिखित रूप में सहमत हो, जो 03 महीने से अधिक न हो, जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और चूककर्ता उधारकर्ता का संपत्ति/राशि पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। 9. संभावित योग्य बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि से पहले मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित हैं। 10. खरीदार को लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क आदि और सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क, शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। 11. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। 12. बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 13. प्रकाशन अप्रत्याशित घटना खंड के अधीन है। 14. **विशेष निर्देशः** बोलीदाताओं के अपने हित में अंतिम समय में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो द कांगड़ा सेंट्रल को-ऑप बैंक लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली बैक-अप आदि करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता/जमानतदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया राशि है, तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

तिथिः 16.11.2026 — प्राधिकृत अधिकारी — स्थानः योल कैंप

Dainik Jagran 17.11.2026